सूचना

अंतिम रूप से बिहार एवं झारखण्ड राज्य आवंटित कर्मियों का पारस्परिक सहमति के आधार पर किये गये राज्य स्थानांतरण में वरीयता ह्रास के विरूद्ध दायर विभिन्न वाद यथा CWJC No.-6153/2017 (सूर्यकान्त बनाम बिहार राज्य एवं अन्य), CWJC No.-6210/2017 (छविशंकर वर्मा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) तथा CWJC No.-8672/2017 (अशोक कुमार झा एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा समेकित रूप से पारित आदेश दिनांक 18.09.2017 के अनुपालन में माननीय उच्चतम न्यायालय में गृह विशेष विभाग द्वारा दायर SLP (C)-3216/2017 (बिहार राज्य बनाम आदित्य नारायण राय) के फलाफल से प्रभावित होने के शर्त के साथ विभागीय अधिसूचना संख्या–1613 (एस) दिनांक 28.02.2018 द्वारा वादीगण अभियंताओं के सिविल लिस्ट क्रमांक एवं वरीयता क्रमांक को पुनर्स्थापित किया गया।

उपर्युक्त न्याय–निर्णय के आलोक में पारस्परिक सहमति के आधार पर राज्य आवंटित अन्य अभियंताओं द्वारा भी मूल वरीयता पुनर्स्थापित करने का अनुरोध किया गया जिसपर विचारोपरांत उक्त अभियंताओं सहित इस प्रकार के अन्य अभियंताओं (कुल–18) के वरीयता पुनर्स्थापन किये जाने के बिन्दु पर विधि विभाग का परामर्श प्राप्त किया गया। विधि विभाग द्वारा परामर्श दिया गया कि 18 (अठारह) अभियंताओं की वरीयता उपरोक्त याचिकाओं में याचिकाकत्ताओं के सदृश्य है तो Litigation Policy के अंतर्गत इस शर्त के साथ पुनर्स्थापित किया जा सकता है कि यह वरीयता माननीय उच्चतम न्यायालय में गृह (विशेष) विभाग के द्वारा दायर SLP के फलाफल से प्रभावित होगा।

विधि विभाग के प्राप्त परामर्श के उपरांत विभाग अंतर्गत गठित "शिकायत निवारण समिति" के समक्ष उक्त मामाले को रखा गया तथा समिति द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में गृह (विशेष) विभाग द्वारा दायर SLP (C)-3216/2017 (बिहार राज्य बनाम आदित्य नारायण राय) के फलाफल से प्रभावित होने के शर्त के साथ उक्त 18 (अठारह) अभियंताओं का मूल सिविल लिस्ट क्रमांक एवं वरीयता पुनर्स्थापित करने की अनुशंसा की गई। तदालोक में माननीय उच्चतम न्यायालय में गृह (विशेष) विभाग के द्वारा दायर SLP (C)-3216/2017 (बिहार राज्य बनाम आदित्य नारायण राय) के फलाफल से प्रभावित होने के शर्त के साथ विभागीय अधिसूचना संख्या–11299 (एस) दिनांक 02.08.2010 द्वारा निर्गत सिविल लिस्ट तथा अधिसूचना संख्या–3953 (एस), दिनांक 04.04.2011 द्वारा निर्गत वरीयता सूची में निम्नरूपेण पुनर्स्थापन प्रस्तावित है :–

क्र० सं०	आवेदक का नाम	विभागीय अधिसूचना संख्या–11299 (एस) दिनांक 02.08.2010 द्वारा निर्गत सिविल लिस्ट		विभागीय अधिसूचना संख्या–3953 (एस) दिनांक 04.04.2011 द्वारा निर्गत वरीयता	
		वर्तमान सिविल लिस्ट क्रमांक	संशोधित सिविल लिस्ट क्रमांक	वर्तमान वरीयता क्रमांक	संशोधित वरीयता क्रमांक
1	**2**	**3**	**4**	**7**	**8**
1	श्री वीरेन्द्र कुमार	178	178 A	135/EE	129 A/EE
2	श्री बाल कृष्ण सिंह	447	243 A	209/EE	156 A/ EE
3	श्री अजय कुमार सिन्हा	449	258 A	211/EE	171 A/ EE
4	श्री रणजीत कुमार	451	268 A	213/EE	179 A/ EE
5	श्री किशोरी प्रसाद देव	निर्धारित नहीं	314 A	44/AE	18 A/AE
6	श्री कमर आलम	458	314 B	339/EE	248 A/ EE

क्र० सं०	आवेदक का नाम	विभागीय अधिसूचना संख्या–11299 (एस) दिनांक 02.08.2010 द्वारा निर्गत सिविल लिस्ट		विभागीय अधिसूचना संख्या–3953 (एस) दिनांक 04.04.2011 द्वारा निर्गत वरीयता	
		वर्तमान सिविल लिस्ट क्रमांक	संशोधित सिविल लिस्ट क्रमांक	वर्तमान वरीयता क्रमांक	संशोधित वरीयता क्रमांक
1	**2**	**3**	**4**	**7**	**8**
7	श्री हीरानन्द झा	461	319 B	342/EE	253 B/ EE
8	श्री सत्येन्द्र सिंह	462	322 A	343/EE	255 A/ EE
9	श्री श्यामा शरण तिवारी	466	364 A	347/EE	292 A/ EE
10	श्री मनोरंजन कुमार पाण्डेय	निर्धारित नहीं	366 A	45/AE	24 A/AE
11	श्री उदय सिंह	467	366 B	348/EE	294 A/ EE
12	श्री कृष्णानन्द प्रसाद सिंह	468	372 A	349/EE	297 A/ EE
13	श्री विनोद कुमार	निर्धारित नहीं	387 A	46/AE	29 A/AE
14	श्री राजू चौधरी	निर्धारित नहीं	390 A	47/AE	29 B/AE
15	श्री कुमुद कुमार सिंह	504	494 A	405/EE	395 A/ EE
16	श्री अखिलेश कुमार	573	553 A	447/EE	430 A/ EE
17	श्री उमाकान्त रजक	575	559 A	449/EE	435 A/ EE
18	श्री संतोष कुमार भट	निर्धारित नहीं	953 A	419/AE	412 A/AE

उक्त सिविल लिस्ट क्रमांक एवं वरीयता क्रमांक में प्रस्तावित पुनर्स्थापन पर यदि किन्हीं को आपत्ति हो तो एक सप्ताह के अंदर अपना दावा/आपत्ति विभाग को उपलब्ध करा सकते हैं।

21/6/18

(मिथिलेश कुमार)
उप सचिव (प्र०को०)
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

21/6/18